न्यूजर्सी आर्थिक विकास प्राधिकरण
कंस्ट्रक्शन इन्फ़्लेशन फ़ंड – पाइलट अनुदान कार्यक्रम
निधि उपलब्धता नोटिस

न्यूजर्सी आर्थिक विकास प्राधिकरण ("एनजेईडीए" या "प्राधिकरण") **कंस्ट्रक्शन इन्फ़्लेशन फ़ंड** ("फ़ंड") पाइलट अनुदान कार्यक्रम के लिए 17 अगस्त 2023 प्रातः 10.00 बजे (ईएसटी) से आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ करेगा। आवेदन 19 अक्तूबर 2023 को सायंकाल 5:00 बजे तक अवश्य ही जमा कर दिये जाने चाहिए। रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं के लिए पात्र उन छोटे व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से 10 मिलियन डॉलर उपलब्ध हैं, जिन्होंने कोविड - 19 महामारी के परिणामस्वरूप निर्माण लागत और प्रोजेक्ट फंडिंग गैप में वृद्धि का अनुभव किया है। आवेदन प्रक्रिया के बंद होने के बाद, आवेदनों का पूर्णता तथा पात्रता के लिए आकलन किया जाएगा तथा उसके बाद एनजेईडीए के स्टाफ द्वारा स्कोर किया जाएगा। उच्चतम स्कोर करने वाले आवेदनों को एनजेईडीए बोर्ड के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदनों को Construction Inflation Fund - NJEDAपर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

उद्देश्य

निधि की स्थापना उन पात्र आवेदकों को रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं के लिए फ़ंडिंग उपलब्ध कराने के लिए की गई है जिन्होंने कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप निर्माण लागत और प्रोजेक्ट फंडिंग गैप में वृद्धि का अनुभव किया है। पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं में शामिल हैं व्यावसायिक / कार्यालय, मैन्युफैक्चरिंग, तथा मिश्रित उपयोग परियोजनाएं जो आकार में कम से कम 5 मिलियन डॉलर की कुल परियोजना लागत की हों।

ओवरव्यू

अमरीकन रेस्क्यू योजना (एआरपी) जिसे 11 मार्च 2021 को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षर कर एक कानून का रूप दिया गया था, 1.9 ट्रिलियन डॉलर का एक आर्थिक प्रोत्साहन बिल है जिसे करोनावाइरस (कोविद-19) सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में परिवारों, समुदायों, और छोटे व्यवसायों में निवेश कर अमरीकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और पुनः प्रारंभ के लिए डिजाइन किया गया है। एआरपी ने कोरोनावायरस राज्य और स्थानीय फ़िस्कल रिकवरी फंड (एसएलएफआरएफ) के माध्यम से, राज्य, स्थानीय और आदिवासी सरकारों को कोविड-19 के लिए उनकी प्रतिक्रिया का समर्थन करने और उससे उबरने के लिए 350 बिलियन डॉलर दिए।

जून 2022 में मर्फी प्रशासन तथा न्यू जर्सी विधानमंडल ने "गैप फाइनेंसिंग - रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग" के लिए राज्य वित्तीय वर्ष 2023 विनियोग अधिनियम ("अधिनियम") के माध्यम से एनजेईडीए को 10 मिलियन डॉलर का कोरोनावायरस स्टेट फिस्कल रिकवरी फंड (सीएसएफआरएफ) उपलब्ध कराया। तदनुसार, कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, निधि की स्थापना एक पाइलट कार्यक्रम के रूप में की गई है जो गैप फ़ाइनेंसिंग उपलब्ध कराएगा और उन रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा जिनकी निर्माण

लागत और परियोजना फ़ाइनेंसिंग गैप में COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है। चूंकि न्यू जर्सी की अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सुधार चल रहा है, इसलिए यही आवश्यक है कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने और मजबूत, लचीली और न्यायसंगत आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक निवेश किए जाएँ।

यूएस ट्रेज़री के फ़ाइनल रूल के अनुसार, निधि की स्थापना एलिजिबिलिटी कैटेगरी 6 (ईसी6) के अंतर्गत की गई है। फ़ेडरल दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रोग्राम फ़ंडिंग 31 दिसंबर, 2024 तक हो जानी चाहिए और 31 दिसंबर, 2026 तक उसे खर्च हो जाना चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट की तैयारी, फ़ंडिंग के संबंध में विचार करते समय महत्वपूर्ण हो जाता है और अन्य सभी फंडिंग स्रोतों का प्रमाण परियोजना आवेदन के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

फ़ंडिंग

कंस्ट्रक्शन इन्फ़्लेशन फ़ंड पाइलट ग्रांट प्रोग्राम एसडीआरएफ फंड का स्वीकृत उद्देश्य अमरीकी ट्रेज़री के फ़ाइनल रूल के अनुसार रेवेन्यू रिप्लेस्मेंट (कैटेगरी 6) के लिए है।

निधि की स्थापना कोविड-19 महामारी के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए 10 मिलियन डॉलर के प्रतिस्पर्धी अनुदान कार्यक्रम के रूप में की गई है। स्वीकृत परियोजना के लिए निधि द्वारा न्यूनतम 500,000 डॉलर और अधिकतम 5,000,000 डॉलर तक अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के अंतर्गत फ़ंडिंग कुल परियोजना लागत के 20% से अधिक नहीं हो सकती है।

अनुदान निधि, निर्माण अनुबंध वेतन आवश्यकताओं की समीक्षा सहित प्रदर्शित महामारी से संबंधित लागत वृद्धि और फंडिंग अंतर के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान निधि प्रदान की जाएगी। अनुदान निधि का राशि निर्धारण लागत की तर्कसंगतता और डुप्लिकेशन ऑफ बेनीफ़िट्स की समीक्षा के बाद किया जाएगा।

प्रति रियल स्टेट डेवलपर अधिकतम एक ही अनुदान दिया जाएगा चाहे कितनी भी अलग-अलग विशेष प्रयोजन संस्थाएं क्यों न हों। एनजेईडीए कर्मचारी आवेदकों के बीच सामान्य प्रबंधन या निर्माण जिम्मेदारियों की समीक्षा।

पात्रता

पात्र आवेदक वे छोटे व्यवसाय होंगे जो न्यूजर्सी में ऐसी पात्र रियल एस्टेट परियोजना शुरू कर रहे हों, जिसमें कोविड-19 से संबंधित फंडिंग अंतर का अनुभव हुआ हो।

जैसा कि सीएसएफ़आरएफ़ अंतिम नियमों (31 सीएफ़आर 35.3) में परिभाषित है, एक छोटा व्यवसाय ऐसा व्यावसायिक संस्थान या अन्य संगठन होता है:

1. जिसमें 500 से, या यदि लागू हो, जिस उद्योग में व्यावसायिक संस्थान या संगठन संचालित होता है, उसके लिए लघु व्यवसाय प्रशासन के प्रशासक द्वारा स्थापित कर्मचारियों की संख्या संबंधी आकार मानक से अधिक कर्मचारी न हों, तथा
2. स्माल बिज़नेस एक्ट (15 यूएससी 632) के सेक्शन 3 के अंतर्गत परिभाषित लघु व्यवसाय हो

फ़ंड के लिए पात्र परियोजनाएं निम्नलिखित प्रकार की रियल एस्टेट परियोजनाओं (पर्याप्त पुनर्वास और/या नवीन निर्माण) तक सीमित हैं:

- व्यावसायिक (कार्यालय सहित)
- मैनुफेक्चरिंग
- मिश्रित-उपयोग विकास; किसी भी आवासीय भाग को एनजेएसए 52:27डी-329.9 (बी) के अंतर्गत आवश्यक, निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए 20% आरक्षण का पालन करना होगा

फ़ंड के लिए अतिरिक्त परियोजना पात्रता आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- परियोजनाएं जो 100% गोदाम या 100% खुदरा हैं वे फ़ंडिंग की **पात्र नहीं होंगी;**हालाँकि, गोदाम की जगह को परियोजना के पात्र प्राथमिक उपयोग के प्रत्यक्ष समर्थन में सहायक परियोजना उपयोग के रूप में शामिल किया जा सकता है;
- परियोजनाओं का आकार ऐसा होना चाहिए जो कुल परियोजना लागत का कम से कम 5 मिलियन डॉलर हो;
- डेवलपर को 50% डेवलपर शुल्क स्थगन के लिए सहमत होना होगा;
- सभी परियोजनाएं प्रचलित वेतन कानून और अन्य श्रम मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होंगी;
- वे परियोजनाएं जिनमें निर्माणकार्य आवेदन से पहले ही शुरू हो गया उनमें पात्र खर्चे तभी शामिल किए जा सकते हैं जबकि यदि न्यूजर्सी राज्य में प्रचलित मजदूरी या संघीय डेविस-बेकन मजदूरी आवश्यकताओं को निर्माण शुरू होने से पहले निर्माण अनुबंध में शामिल किया गया हो या परियोजना प्रचलित वेतन या डेविस-बेकन वेतन दरें भुगतान कर रही हो, जैसा लागू हो।

अतिरिक्त आवेदक आवश्यकताएँ:

- पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदन के समय न्यूजर्सी डिपार्टमेन्ट ऑफ लेबर एंड वर्कफ़ोर्स और एनजे डिपार्टमेन्ट ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के अनुसार अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यदि आवेदक को डिवीज़न ऑफ टैक्सेशन के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता न हो, तब यह दर्शाने के लिए कि आवेदक एनजे डिवीज़न ऑफ टैक्सेशन के अनुसार अच्छी स्थिति में है, अनुमोदन से पहले एक वर्तमान कर निकासी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थान को डीबार नहीं किया गया है, अवार्ड मैनेजमेंट फ़ेडरल सिस्टम के विरुद्ध आवेदकों की समीक्षा की जाएगी।

कृपया उन स्टेट और फ़ेडरल वैधानिक निषेधों (जैसे कि रूस/बेलारूस, कैनबिस से संबंधित गतिविधियां, और राज्य विधायक/अधिकारी/कर्मचारी या उनके साझेदार) की चर्चा के लिए "अतिरिक्त जानकारी" अनुभाग देखें, जो एनजेईडीए के अधीन हैं, जो सहयोगियों को प्रभावित कर सकते हैं।

पात्र उपयोग

कंस्ट्रक्शन इन्फ़्लेशन फ़ंड के अंतर्गत, फ़ंडिंग का उपयोग केवल आवेदन, एनजेईडीए समीक्षा और फंडिंग अनुदान समझौते के आधार पर अनुमोदित रियल एस्टेट विकास परियोजना लागत के लिए किया जा सकता है। अनुदान का उपयोग भावी रियल एस्टेट विकास परियोजना की ऐसी हार्ड तथा सॉफ्ट लागतों के लिए किया जाएगा, जहां परियोजना विकास की सॉफ्ट लागतों का सपोर्ट करने के लिए अनुदान के 20% से अधिक भाग का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

फ़ंडिंग का इस्तेमाल डेवलपर शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

आवेदन जमा करने और समीक्षा की प्रक्रिया (स्कोरिंग सहित)

आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर, 2023 के बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे और न ही उनकी समीक्षा की जाएगी।

आवेदन करने के लिए, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण या लॉग इन करना होगा, सभी आवश्यक आवेदन प्रश्नों को पूरी तरह से पूरा करना होगा, और निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्नक अपलोड करने होंगे:

- आवेदक के लघु व्यवसाय के रूप में पात्रता की पुष्टि के लिए संगठनात्मक दस्तावेज़;
- आवेदक और डेवलपमेंट टीम का अनुभव और क्षमता जो समान आकार और दायरे की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती हो;
- प्रोजेक्ट ओवरव्यू और विवरण;
- कोविड-19 के प्रभाव और महामारी संबंधी लागत वृद्धि का वर्णन करने वाला विवरण;
- परियोजना बजट (स्त्रोत तथा उपयोग लाइन आइटम विवरण), प्रो फॉर्मा / नकदी-प्रवाह प्रक्षेपण, और वित्तपोषण के साक्ष्य;
- निर्माण अनुबंध और संबंधित दस्तावेज़ जैसे परियोजना लागत ब्रेकडाउन तुलना, और लागत कम करने के प्रयासों के साक्ष्य, जैसे वैल्यू इंजीनियरिंग प्रयास;
- स्थानीय समीक्षा तथा स्वीकृतियां/परमिट के विवरण तथा दस्तावेज़;
- परियोजना विकास घटनाक्रम।

आवेदन की अवधि के समापन के बाद, एनजेईडीए का स्टाफ़ पूर्णता के लिए सभी आवेदनों की समीक्षा करेगा। एकमात्र केवल प्राधिकरण के विवेक के अनुसार, एनजेईडीए कर्मचारी आवेदन के लिए कोई भी आवश्यक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, जिसमें प्रतिक्रियाएं, दस्तावेज़ीकरण और संलग्नक शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। आवेदकों को किसी भी कमी पर प्रतिक्रिया देने या उसका सुधार करने के लिए 10 कार्यदिवस

दिये जाएँगे। यदि सुधार की अवधि के समापन पर आवेदक की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, आवेदन को स्कोर करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसे वापस लिया माना जाएगा।

जिन आवेदनों को पूर्ण माना जाएगा उनकी समीक्षा और स्कोरिंग मूल्यांकन स्कोरिंग समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें एनजेईडीए कर्मचारी शामिल होंगे। आवेदनों को 0 - 104 अंकों के पैमाने पर स्कोर किया जाएगा, अवार्ड की सिफारिशें उन आवेदनों तक ही सीमित होंगी जो 65 अंकों के न्यूनतम स्कोर की आवश्यकता को पूरा करेंगे या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।

जैसा कि कंस्ट्रक्शन इन्फ़्लेशन फ़ंड कार्यक्रम विनिर्देशों में बताया गया है, स्कोरिंग कारकों और बिंदुओं में शामिल होंगे:

- परियोजना प्रस्ताव (प्रस्तावित परियोजना का सामुदायिक और आर्थिक विकास प्रभाव और लाभ) *(25 पॉइंट्स तक)*
- परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता *(15 पॉइंट्स तक)*
- आगे बढ़ने की तैयारी *(35 पॉइंट्स तक)*
- आवेदक/ डेवलपमेंट टीम का अनुभव और क्षमता *(20 पॉइंट्स तक)*
- लागत घटाने के प्रयास *(5 पॉइंट्स तक)*
- ** के लिए बोनस पॉइंट्स *(4 पॉइंट्स तक)*
    - *** निम्न या मध्यम आय वाले समुदाय या क्वालिफ़ाइड जनगणना पथ के भीतर लोकेशन (एसएलएफआरएफ नियमों के अनुसार); एनजे प्रमाणित महिलाओं, अल्पसंख्यकों, वेटेरन व्यावसायिक उद्यमों द्वारा भागीदारी (एमडबल्यूवीबीई)*

आवेदनों के लिए अवार्ड अनुमोदन हेतु बोर्ड को सिफारिश की जाएगी, जो उच्चतम स्कोर वाले आवेदन से शुरू हो कर तब तक चलेगी जब तक कि सभी कार्यक्रम निधि अवार्ड नहीं कर दी जाती। यदि प्रारंभिक आवेदन अवधि के दौरान सभी कार्यक्रम निधि अवार्ड नहीं की जाती है, तो आवेदन क्रमिक आधार पर फिर से खोले जाएंगे और 65 अंकों के न्यूनतम स्कोर को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।

सभी पात्र आवेदन स्वीकृति के लिए, और सभी आवेदन जिन्हें ग़ैर विवेकाधीन कारणों से भी ठुकराया नहीं गया होगा, बोर्ड के पास जाएँगे।

अनुदान फ़ंडिंग आवंटन

जब एक बार किसी परियोजना को फ़ंडिंग के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो एनजेईडीए आवेदक के साथ एक अनुदान समझौता करता है, फ़ंड की जाने वाली परियोजना, पात्र परियोजना लागत, अनुदान फ़ंडिंग की राशि और सभी वित्तीय कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं का विवरण दिया जाता है। अनुदान समझौते में एआरपी

एसएलएफआरएफ फंडिंग अवार्ड्स के लिए यूएस ट्रेज़री के अनुपालन और रिपोर्टिंग मार्गदर्शन के अनुसार रिपोर्टिंग, अनुपालन और अन्य आवश्यकताएं भी शामिल होंगी। आवेदन के सभी नियमों और शर्तों, फ़ंड कार्यक्रम और फ़ेडरल एआरपी एसएलएफआरएफ फ़ंडिंग आवश्यकताओं के साथ परियोजना के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवेदक जिम्मेदार होंगे।

प्राधिकरण द्वारा अनुदान का आवंटन केवल आवेदक को किया जाएगा। अनुदान राशि या तो वृद्धिशील रूप से दी जाएगी चूंकि पात्र परियोजना व्यय किए जा चुके हैं और एनजेईडीए के मानक निर्माण रखरखाव तथा अन्य फंडिंग स्रोतों के साथ आनुपातिक रूप से प्रोजेक्ट पूरा होने तक रोके गए हैं या अन्य ऋणदाता की संवितरण प्रक्रिया के साथ समन्वय में अनुदान राशि को दिया जा सकता है।

फंडिंग दिये जाने के अनुरोधों को दस्तावेज द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि ख़र्चे वास्तव में किए गए थे, कार्य प्रचलित वेतन और श्रम मानकों की अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, और कार्य परियोजना अनुमोदन और कार्यक्रम फंडिंग के योग्य उपयोगों के अनुरूप किया गया था।

अनुदान राशि का अंतिम भुगतान एनजेईडीए द्वारा पूर्ण परियोजना के निरीक्षण और एनजेईडीए द्वारा निर्धारित ऑक्युपेन्सी के अस्थायी प्रमाण पत्र या ऑक्युपेन्सी प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर किया जाएगा।

शुल्क

आवेदन जमा करने के समय 1,000 डॉलर का शुल्क देय है।

अतिरिक्त जानकारी

कंस्ट्रक्शन इन्फ़्लेशन फ़ंड के संबंध में विस्तृत जानकारी
Construction Inflation Fund - NJEDA पर उपलब्ध है

फ़ंडिंग उपलब्धता के संबंध में प्रश्न realestateinfo@njeda.com पर भेजे जाने चाहिए।

एनजेईडीए राज्य और फ़ेडरल कानूनों के अधीन है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिनसे सहयोगी प्रभावित हो सकते हैं: एनजेएसए 52:32-60.1, et seq., जो न्यूजर्सी की सरकारी संस्थाओं को बेलारूस या रूस में निषिद्ध गतिविधियों में लगे लोगों की ट्रेजरी सूची में अवस्थित व्यवसायों के साथ कुछ लेनदेन करने को प्रतिबंधित करता है; एनजेएसए 24:6I-49 जहां यह प्रावधान है कि निम्नलिखित, अधिकांश राज्य या स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं हैं (a) कोई व्यक्ति या संस्था जिसने भांग की खेती करने वाले, निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता या वितरण सेवा के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, या जो भांग प्रतिष्ठान, वितरक, वितरण सेवा के लिए या उसकी ओर से काम करने के लिए प्रमाणित व्यक्तिगत उपयोग वाले भांग हैंडलर को नियोजित करता है; तथा (b) संपत्ति के मालिक, डेवलपर, या किसी प्रोजेक्ट के ऑपरेटर का उपयोग, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भांग की खेती करने वाले, निर्माता, थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता, या वितरण सेवा द्वारा या उसे लाभ पहुंचाने के लिए, या एक प्रमाणित व्यक्तिगत उपयोग

करने वाले और या भंग प्रतिष्ठान, वितरक, या डिलीवरी सेवा के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले भांग हैंडलर को नियोजित करने के लिए किया जाता है; और N.J.S.A. 52:13D-12, et seq., विधायिका के किसी सदस्य या किसी राज्य अधिकारी या कर्मचारी या उनके साझेदारों या किसी निगम को, जिसमें वे 1% से अधिक स्टॉक के मालिक हैं या नियंत्रित करते हैं, कुछ सीमित अपवादों के साथ किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा बनाया गया, दर्ज किया गया, प्रदान किया गया 25.00 डॉलर या अधिक के किसी भी अनुबंध, समझौते, बिक्री या खरीद को शुरू करने या निष्पादित करने से प्रतिबंधित करता है।